# IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

## SCHEDULE

Permission has been granted to sri जितबाहन प्रधान

S/O, W/O D/O स्व० मनबोध प्रधान Village सिमडेगा खरवाटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri मती फुलमनी खाखा S/O,W/O D/O राजेश खाखा

Village गोतरा P.S सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 3/10/18

in Rev,C.N.T.case No 162 of 2018-19

U/S 46 C.N.T. Act,

| Village | Thana No. | Khata No. | plot No | Area(in acres) | Value for Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| सिमडेगा | सिमडेगा / 116 | 117 | 23 | 3.30ए० में से 0.05ए० | मो० 250000=00 (कुल दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) |

चौहद्दी

उ०- इसी प्लॉट का अंश

द०- इसी प्लॉट का अंश

पू० - प्लॉट नं० 59

प० - इसी प्लॉट का अंश रास्ता 10'

Sd....... ह०/

L.R.D.C.Simdega

Memo No. 1667(ii) /Rev. Dated (Simdega the 3/10/2018 20

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri जितबाहन प्रधान पिता स्व० मनबोध प्रधान

Village सिमडेगा खरवाटोली P.S सिमडेगा District Simdega

For information and needful

टिपा लगा जितबाहन प्रधान की टि० राजेश [illegible]
27/11/2018

कार्यालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

उप समाहर्ता
L.R.D.C Simdega
भूमि सुधार सिमडेगा

न्यायालय भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद सं0 162/18–19

श्री जितबाहन प्रधान ............आवेदक
बनाम
झारखण्ड सरकार.......................विपक्षी

3/10/18

## आदेश

आवेदक श्री जितबाहन प्रधान पिता स्व0 मनबोध प्रधान ग्राम–सिमडेगा खरवाटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र दायर किये हैं।

### भूमि विवरणः–

| मौजा | थाना | थाना न0 | खाता न0 | प्लॉट न0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| सिमडेगा | सिमडेगा | 116 | 117 | 23 | 3.30 ए0 में से 0.05 ए0 |

कुल रकबा (शब्दों में) पांच डिसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को मकान बनाने एवं अन्य घरेलू खर्च हेतु प्रस्तावित केता– श्रीमती फुलमनी खाखा पति श्री राजेश खाखा, ग्राम गोतरा थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति उरॉव) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 106 दिनांक 04.08.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। जिसके खतियानी रैयत रघुवर गोड़ वल्द करम गोड़ हैं। वर्तमान जमाबंदीदार खाता नं0 117 जगतपाल गोंझू वगैरह वल्द रघुवर गोड़ हैं। मालगुजारी पंजी II रैयत के वंशज द्वारा दिया जाता है। उक्त भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। बिक्रेता एवं केता दोनों अनुसूचित जनजाति गोंड़ एवं उरॉव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि की बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 11.18 एकड़ भूमि शेष बचता है।

भूमि स्वामित्त्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत है, जो अभिलेख में संलग्न है। केत्ता की ओर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 जे0एच0आर0सी0/2017/ 651711 दिनांक 21.9.18 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा–सिमडेगा थाना न0–116 थाना–सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0–117 प्लॉट संख्या 23 रकबा 3.30 ए0 में से 0.05 ए0 जमीन को मकान बनाने एवं अन्य घरेलू खर्च के लिये केता श्रीमती फुलमनी खाखा पति श्री राजेश खाखा ग्राम गोतरा थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को मो0 250000.00 रू0 (शब्दों में) दो लाख पचास हजार रूपये मात्र में अपने राजी –खुशी से बिक्री कर रहा हूँ। यह मेरी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे 11.18 एकड़ जमीन शेष बचती है। विक्रेत्ता एवं केत्ता दोनों अनुसूचित जनजाति गोंड़ एवं उरॉव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

टेपा लदी
जितवाहन प्रधान
पी. डी. राजेश खाखा।
27/11/2018

27/11/18

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा– सिमडेगा थाना नं0–116 थाना–सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0–117 प्लॉट संख्या 23 रकबा 3.30 ए0 में से 0.05 एकड़ जमीन आवेदक श्री जितबाहन प्रधान पिता स्व0 मनबोध प्रधान ग्राम–सिमडेगा खरवाटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा द्वारा केता–श्रीमती फुलमनी खाखा पति श्री राजेश खाखा ग्राम गोतरा, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिकी करने की स्वीकृति.................दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

पुनश्चः तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

P- 5=00
F- 32=00
AF 8=00
योग 13=00
कुल तेरह रुपये मात्र।

प्रधान लिपिक।

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, सिमडेगा

पत्रांक ......106.........
दिनांक ......4.8.18........

सेवा में ,
अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/ भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा ।

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या 162 सन् 18/19

**1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र**

१) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्त्ता) का नाम : - श्री जितवाहन प्रधान
पिता का नाम/पूरा पता : - स्व० मनबोध प्रधान, ग्राम - सिमडेगा खरवाटोली थाना जिला - सिमडेगा
ख - जाति : - गोड़ ।

२) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : - रघुवर गोड़ वल्द करम गोड़ कौम - गोड़,

३) जमीनदारी विलियन के पश्चात उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी दार का नाम : - 117, तदैव,

४) वर्त्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी दार का नाम : - जगतपाल गोड़ वगैरह वल्द रघुवर गोड़,

५) वर्त्तमान जमाबन्दीदार को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : - खतियानी ।

६) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : - पंजी II रैयत के वंशज,

७) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : - वंशज, रघुवर गोड़

८) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार है तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : 1/4 जगतपाल, अर्जुनपाल, ईश्वरपाल, गोवर्धन; मनबोध प्रधान, बीरशप्पा धर्म, धाकु (नाबालिग); करमपाल, लालचंद, आसाराम, जितवाहन (आवेदक)

९) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : - नहीं,

१०) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है : - नहीं,
ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित हैं : - नहीं,

११) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : - मकान बनाने एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु।

१२) जमीन का किस्म एवं ब्योरा

| ग्राम/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| सिमडेगा 116 | 117 | 23 | 0.05 ए० out of 3.30 ए० | आवासीय, |

१३) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : - @ 50,000/- ए०
१४) जमीन का वर्त्तमान मूल्य : - 2,50,000/-
१५) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : - 11.23 ए०
१६) बिक्री के बाद शेष भूमि : - 11.18 ए०

ठेपा सही
जितवाहन प्रधान
की, को! राजेन्द्र लकड़ा
27/11/2018

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
प्रतिलिपि लिपिक

( २ )

## 2. क्रेता के सम्बन्ध में

१) क - क्रेता का नाम / पिता का नाम :- श्रीमति फुलमनी खाखा पति श्री राजेश खाखा
घर का पूरा पता :- ग्राम - ओतरा, थाना वो जिला - सिमडेगा।

ख - जाति :- उरॉव।

२) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ? :- एक ही थाना क्षेत्र के है।

३) जमीन खरीदने का कारण / आवश्यकता :- आवासीय प्रयोजनार्थ।

४) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिंलिंग का वाद चला है :- नहीं।

५) उनके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है :- 1.59 ए० लगभग

६) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्योरा :- x

७) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य :- x

८) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्योरा :- x

CO. Sim
हल्का कर्म० के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर CNT Act के Sec 46 के अन्तर्गत विधिमान्य है मे अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।
CI

९) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा कि शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है :- x

१०) अभियुक्ति :- प्रस्तावित भूमि के विक्रेता आमवंदी हिस्सेदार रैयत के वंशज हैं। विक्रेता एवं क्रेता अ०ज०जा० श्रेणी क्या एक ही थाना क्षेत्र के हैं, एवं विक्रय पश्चात् विक्रेता के पास 11.18 ए० भूमि शेष बचती है। अतः जाँच प्रतिवेदन सूचनार्थ अग्रसारित।

(Stamp: जिला अवर निबंधक सिमडेगा (झारखण्ड))

अग्रसारित
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
सिमडेगा

V.O.S

LRDC
Simdega.

प्रतिलिपि कर्ता — तुलना कर्ता
टंकणकर्ता — उत्तमा लिपिक